HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 5265/2024

Jayesh Narawat S/o Bishan Singh, Aged About 36 Years, R/o B/612, Bharav Shrushti Co-Op, Housing Society, Opp. Domino's Pizza, 150 Ft. Road, Bhayandar (W), Dist. Thane (Maharastra)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Shrimati Lakshita D/o Sardar Singh, R/o Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur, Raj.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Rishiraj Rathore
For Respondent(s)	:	Mr. Vikram Rajpurohit, Dy.G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE FARJAND ALI

Order

27/01/2025

1. वैवाहिक विद्वेष के चलते परिवादीया द्वारा याची के विरुद्ध दांडिक प्रकरण पंजीबद्ध करवाया किंतु पश्चात्वर्ती क्रम में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से विवाद का अंतिम रूप से निपटारा किया गया जिस हेतु राजीनामा दिनांक 30.06.2022 को निष्पादित किया गया। राजीनामा के शर्तों के मुताबिक याची के द्वारा तयशुदा राशि परिवादिया को अदा कर दी गई। धारा 13–ख हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आपसी सहमति से विवाह विच्छेद किया जाकर तलाक की डिक्री की आज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।

2. आपसी समझौता विलेख दिनांक 30.06.2022 एवं अन्य कागजात से पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने एवं दांडिक प्रकरण को समाप्त करने की सहमति होना परिलक्षित होता है।

3. आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड का दिनांक 31.08.2022 का खाते का विवरण यह दर्शाता है कि याची के द्वारा डेढ़ करोड़ रुपये अयाची संख्या 2 के खाते में हस्तांतरित किए जा चुके हैं।

4. स्थगन याचिका स्वीकार और यह आदेशित किया जाता है कि आपराधिक विविध याचिका संख्या 5265/2024 के अंतिम निर्णय तक प्रथम सूचना संख्या 0138/2021, पुलिस थाना फालना, जिला पाली में अग्रिम कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी एवं ए.सी.जे.एम., बाली कोर्ट के नियमित दांडिक प्रकरण संख्या 1506/2022 में अग्रिम कार्यवाही स्थगित रहेगी। हस्तक्षेप हेतु पर्याप्त सामग्री है, अतः याचिका विचारार्थ स्वीकार की जाती है।

5. याची संख्या 2 को 15 अप्रेल 2025 को वापसी योग्य नोटिस जारी किए जावें।

(FARJAND ALI),J

15-Rakesh/-